

संख्या सं- 221

16/4/96 17-1/285

239369

(2)

REGISTERED No. 211

Legislator
Shri. ...

Registered by
6-7-1996
(Venu Upadhyay)

भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY
भाग 2-संवत्साय 1 क

PART II-Section 1A
अधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Sh. ...
Secretary
U.P. Govt.

No. 1
No. 1

नई दिल्ली, शुक्रवार, 5 जनवरी, 1996/15 तौद, 1917 (सक)
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 1996/PAUSA 15, 1917 (SAKA)

Part XXX
Vol. XXXII

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अलग संवत्साय के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be listed as a separate compilation.

विधि द्वारा की गई कार्यवाही
द्वितीय विभाग

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1996/15 तौद, 1917 (सक)
राष्ट्रपति का निम्नलिखित अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयक्ति अधिनियम, 1996

(1996 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 1)
भारत गणराज्य के द्वितीय संवत्साय में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित।

इसकी एक कोटोस्टेट प्रतिलिपि है और यह प्रकाशित में रख जाय। प्रमुख सचिव महोदय से कर्तव्य है।

18-7-2001

(हरि शंकर विपाजी)
परामर्शदाता
विधायी विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित क्षेत्रवासियों से निम्नलिखित वर्गों के लिए आयोग के गठन और उनसे संबंधित और उनके आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए अधिनियम।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभाल (अधिसूचना संख्यांक 1) अधिनियम, 1995 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिनियम को अधिनियमित करते हैं :-

प्रारंभिक
संश्लेषण नाम और प्रारंभ।
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयक्ति अधिनियम, 1996 है।

विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश शासन
आयक्ति
6/7
(सं. 5. महाराज)
मुख्य सचिव, स्थाप एवं विधि परामर्श
उत्तर प्रदेश शासन

16/7/01

20/10

परिभाषाएं।

(1) यह 17 नवम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ जाना जाएगा।

2. इस अधिनियम में,—

(क) "मिडिया वर्ग" को नागरिकों के एक वर्ग अभिप्रेत है जो समय-समय पर महासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 को धारा 2 के अन्तर्गत (क) में परिभाषित है।

(ख) "आयोग" से धारा 3 के अन्तर्गत गठित मिडिया वर्गों राज्य आयोग अभिप्रेत है।

(ग) "सर्वस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत

(घ) "अनुसूचित" से महासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची में परिभाषित है।

अध्याय 2

मिडिया वर्गों राज्य आयोग

मिडिया वर्गों राज्य आयोग का गठन।

3. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उक्त प्रवृत्त अधिनियमों का प्रयोग करके अनुसूचित वर्गों को नामित करने के लिए एक मिडिया वर्ग का गठन करेगी जिसे पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग कहा जाएगा।

(2) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां राज्य सरकार, अधिनियमों द्वारा विनियोजित करे।

(3) आयोग एक सदस्य और चार अन्य ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठा, नियुक्ति और तदनुषंगाने वाले अधिनियमों में से नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।

परन्तु चार सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, पिछड़े वर्गों से होंगे।

पदावधि और सेवा की शर्तें।

4. (1) अध्यक्ष और सदस्य अपने-अपने तदनुषंगाने वाले अधिनियमों की तारीख से तदनुषंगाने वाली सेवा अवधि पर कार्य करेंगे।

(2) यदि अध्यक्ष या सदस्य का पद किसी भी समय खाली हो जाए तो वह तक उसका तदनुषंगाने वाला अधिनियम नहीं करा लिया जाता जब तक कि वह पद भरा जाता है।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटाने के लिए यह अधिकार—

(क) अनुसूचित विचारणा से जाता है।

(ख) किसी ऐसे अधिकाधिक के लिए निरुत्थान उद्घोषणा जाता है और कारावास से दोषाधिक किया जाता है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अयोग्यता सम्मिलित है।

(ग) विरुद्धित पा ही जाता है और किसी समय न्यायालय की ऐसी घोषणा विरुद्धित है।

(ब) कार्य करने में रुकावट उत्पन्न हो या कार्य करने के लिए बाधित हो जाता है।

(घ) आयोग के आनुसंधान की सहायता लिए बिना आयोग के जमादार-धर्म-सिद्धियों को अनुपस्थित रहता है, या

(च) आयोग के सदस्यों की राज्य में प्रत्येक या सदस्य के पद का एक उपयोग करता है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बने रहना पिछड़े वर्ग के हितों या लोकहित के लिए हानिकार हो गया है।

परंतु इस अनुच्छेद के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं धरया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को उक्त आयोग के सदस्य के रूप में न रखा गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन कार्य या व्यवस्था होने वाली स्थिति में नियमित कार्य नहीं जाएगा।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से अन्य निबंधन नहीं होनी जो उचित की जाए।

5. (1) आयोग के अध्यक्ष, आयोग के उच्च अधिकारी और ऐसे अन्य कार्यों और कर्मचारियों को व्यवस्था करने और आयोग के कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के अधीन के लिए नियुक्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से अन्य निबंधन नहीं होना या किसी भी प्रकार का बाधना।

6. अध्यक्ष और सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय तथा प्रशासनिक व्यक्तियों को, जिनके अधीन कार्य है, के विहित अधिकारियों और कर्मचारियों के सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से, जिनके अधीन कार्य है, के विहित अधिकारियों के सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से बाधित किया जाएगा।

7. आयोग को कोई कार्य या कार्यवाही करने इस आधार पर प्रतिबन्धित नहीं होगी कि आयोग ने कोई निर्णय है या उनमें गठन से कोई श्रुति है।

8. (1) आयोग का अधिनियम, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश पर होगा जो आवश्यक हो, उनसे अन्य बाधना।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्दिष्ट करेगा।

(3) आयोग के सभी प्राधान्य और विनियमन-संबंधित कार्य या इस विषय में नियम बनाए रखने के अतिरिक्त आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय 3

आयोग के कर्तव्य और वास्तविकता

9. (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किसी एक या अधिक करेगा, प्रस्ताव के रूप में।

(क) प्रयोग अनुसंधान से किसी भी नगरियों को पिछड़े वर्ग के वर्ग में सम्मिलित किए जाने के प्रस्तावों को जमाने, और ऐसी अनुसंधान से किसी पिछड़े वर्ग के गरीब सम्मिलित किए जाने या सम्मिलित न किए जाने को सिफारिशों को सुझाई करेगा और राज्य सरकार को ऐसी सिफारिशें देगा, जैसी वह उचित समझे।

प्रयोग के अधिकार और अन्य शक्तियाँ।

सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से बाधना।

निर्णयों और कार्य-वाहियों का अधि-कार्य होगा।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

प्रस्ताव के रूप में।

राज्य का राजपत्र प्रकाशन

(अ) तत्काल प्रवृत्त कित्ती विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त रक्षोपायों के संबंध में सभी मामलों का श्रवण और अनुसरण करना और ऐसे रक्षोपायों की प्रभावों का मूल्यांकन करना ;

(ए) पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षोपायों के दक्षिण किए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विषयों की जांच करना ।

(ब) पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सहाय देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(क) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर सहाय और ऐसे प्रणाली पर दीया माध्यम उचित तथ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(ख) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी प्रत्यान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किए जाए, विचारित करना ;

(ग) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और समृद्धि के संबंध में ऐसे रिपोर्टों को, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किए जायें, निर्दिष्ट करना ;

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग को रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयीं या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी कित्ती सिफारिश को अंतिमकार किए जाने के कारण, यदि कोई हो, का संक्षेपित रूप में प्रस्तुत करवाएगी।

आयोग की शक्तियां ।

10. आयोग को प्रायः 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले और विधिकीयता निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी शक्तियां होंगी, जो कित्ती प्राय का विचारण करते समय कित्ती न्यायालय को होती है-
(अ) कित्ती-अर्थिक को समन करना और उसे हाकिम करना और राज्य पर उसकी परीक्षा करना ;

(ब) कित्ती-व्यवस्था को प्रकट और वेग करने की अपेक्षा करना ;

(ग) अपने पत्रों पर साक्ष्य प्रस्तुत करना ;

(घ) कित्ती न्यायालय का आयोग के कित्ती लोक प्रतिनिधित्व या उसकी प्रति की अपेक्षा करना ; और

(ङ) शक्तियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समीक्षण निश्चलना ; और

(च) कोई अन्य विषय को विहित किया जायें ।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूची का नियतकालिक पुनरीक्षण ।

11. (1) राज्य सरकार कित्ती को अपने अनुसूची के उन वर्गों को, जो की दृष्टि से अनुसूची का पुनरीक्षण पर समती है और इस अधिनियम के प्रवृत्त मपधि की समाप्ति पर ऐसी पुनरीक्षण करेगी।

अनुभाग (क)

भारत का राजपत्र दस्तावेज़

5

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण काल समय प्रायोग से पारपत्र करेगी।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

12. (1) राज्य सरकार, राज्य विद्यालय-मण्डल द्वारा इन निमित्त बिधि द्वारा किए गए व्यय-विवरण के परामर्श, भाषाओं को अनुदानों के रूप में ऐसे अनुदानों का संयोजन करेगी जो राज्य सरकार इस प्रतिनिधिम के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

(2) आयोजन इस प्रतिनिधिम के अंतर्गत व्ययों का गलत करने के लिए ऐसी क्षमताओं को देना नहीं होगा जो अतः ठीक समझे और यह अनुदान उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संवेद व्यय नामी जायगी।

13. (1) आयोजन, उचित सेवा और अन्य सुव्यवस्था प्रतिनिधियों को रखना और सेवाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो विहित की जाए।

सेवा और संपरीक्षा।

(2) आयोजन ने सेवाओं की संपरीक्षा, सेवापरीक्षा के द्वारा ऐसे अनुदानों को भी करेगी, जो विहित किए जाएं।

(3) संपरीक्षा को सहित, सेवाओं संबंधित व्ययों और अन्य व्ययों और पदाधिकारियों को देना करने की क्षमता करने और आयोजन के किरी कार्यालय का निरीक्षण करने को ऐसी शक्ति होगी, जो विहित की जाए।

14. आयोजन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके निगरानियों का पूरा विवरण होगा और उसका एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

15. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही धारा 9 के अंतर्गत आयोजन द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही का और यदि ऐसी सलाह अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों का कारण तथा संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् समाप्त, राज्य विद्यालय-मण्डल के प्रत्येक स्तर के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विद्यालय-मण्डल के समक्ष रखा जाना।

अध्याय 5

प्रकरण

1860 का 45

16. आयोजन का अध्यक्ष, अध्यक्ष और कर्मचारियों भारतीय संघ संहिता की धारा 31 के अर्थ में लोक सेवा कर्मचारी जाएंगे।

आयोजन के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवा कर्मचारी।

17. (1) राज्य सरकार, इस प्रतिनिधिम के उपबंधों को अन्यायित करने के लिए नियम, अधिनियम द्वारा, बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विधिपरकता और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव वाले विना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकता, यद्यपि:—

(क) धारा 4 की उपधारा (8) के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों की और धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संवेद-व्यय और अन्य सेवा के अन्य नियमों और शर्तों।

(ख) यह प्रारूप जिसमें सेवाओं का वार्षिक विवरण धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत तैयार किया जाएगा।

अधिनियम संख्या 3/95

मंडल नामों में जो (इसमें सहित) यन्त्रों नामों में मानक उच्चतम न्यायिक के विषय में अनुसूची में राज्य सरकार में तारीख 9 मार्च, 1993 को अधिनियम द्वारा विद्यमान होने के लिए एक भारतीय का गठन किया। यह विनियम किया गया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाए। यहाँ यह भी विनियमित किया गया कि विद्यमान होने की सूची में विद्यमान होने के रूप में किसी वर्ग के नामों को सम्मिलित करने के लिए अनुसूची में जो नामों को सम्मिलित किए जाने का सम्मिलित न किए जाने की क्रियाशीलता को कार्य करने के अन्तर्गत अधिनियम विद्यमान होने के लिए कल्याण की शुरुआत करने की शक्ति में प्रत्येक विनियमित सूची का भी गठन कर सकेगा।

2. राज्य विधानमंडल तथा में उक्त या और इस विषय में सुचना विधायी कार्यवाई किया जाता है। उक्त अधिनियम प्रत्येक विधान में राज्य विधान प्रख्यादेश 1994 (1994 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 26) की अध्यादेश द्वारा 17 नवम्बर, 1994 को प्रस्तावित किया गया। पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबंधों को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान में राज्य अधिनियम, 1995 उत्तर प्रदेश विधान संख्यांक में 6 फरवरी, 1995 को पुर-स्थापित किया गया था। किन्तु उक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान संख्यांक को प्रतिस्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 12 अध्यादेश 1995 (1995 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 12) अध्यादेश द्वारा 30 मार्च, 1995 को पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबंधों को प्रत्येक में स्थान के लिए प्रस्तावित किया गया।

3. पूर्वोक्त अधिनियम 14 फरवरी, 1995 से लागू होने वाले राज्य विधानमंडल के अन्तर्गत अधिनियम विधान का सजा और यह विधानभा में संशोधित रहा। उत्तर प्रदेश विधान में राज्य अधिनियम (संख्यांक) अध्यादेश, 1995 (1995 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 34) अध्यादेश द्वारा 25 अप्रैल, 1995 को 1995 के अध्यादेश उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 12 के उपबंधों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया।

4. राष्ट्रपति के 18 अक्टूबर, 1995 को अधिनियम के अनुच्छेद 356 के अधीन एक अधिनियम जारी की जिसमें राज्य विधानों के सम्बन्ध में यह घोषणा की कि राज्य को विधायी शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा या उनके अधिनियमों के अधीन किया जायेगा। इसमें में धारा, अधिनियम के अनुच्छेद 357(1) (क) के अधीन, उत्तर प्रदेश अधिनियम को विधि बनाने की विधानमंडल की शक्तियों उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (अधिनियम का प्रस्तावना) अधिनियम, 1995 (1995 का 2) के द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्ताव कर दी है।

5. उक्त अधिनियम को अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सता है और अध्यादेश के अन्तर्गत, 1995 को लागू हो रहा है। यहाँ यह विनियमन किया गया है कि उक्त अधिनियम को राष्ट्रपति के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

6. उत्तर प्रदेश अधिनियम विधानमंडल (अधिनियम का प्रस्तावना) अधिनियम, 1995 (1995 का 2) की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत के अधिनियम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अधिनियम को अधिनियमन किया जाने के पूर्व इस अधिनियम के लिए अधिनियम के अन्तर्गत के अधिनियम के अधिनियम होने परान्त फरती। किन्तु उक्त अधिनियम अधिनियम के अधिनियम को अधिनियम अधिनियम अधिनियम है। यहाँ यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम को उक्त अधिनियम को निर्देश दिए बिना अधिनियमित किया जाए।

को० वी० लक्ष्मणा,
अध्यक्ष, भारत सरकार



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 जनवरी, 1996

पौष 15, 1917 शक सम्वत्

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 34/XVII-V-1-1 (KA) 44-1996

Dated Lucknow, January 5, 1996

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

THE following President's Act enacted on January 5, 1996 is published for general information:—

THE UTTAR-PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 1996

(PRESIDENT'S ACT NO. 1 OF 1996); Amol. 28/2001, 18/2005, 10/2007

[Enacted by the President in the Forty-sixth Year of the Republic of India]

AN

ACT

to constitute a Commission for the State of Uttar Pradesh for Backward Classes other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to provide for matters Connected therewith or incidental

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995, the President is pleased to enact as follows :—

CHAPTER-I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 17, 1994.

Definitions

2. In this Act—

(a) "backward Classes" means such classes of citizens as are defined in clause (b) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time ;

(b) "Commission" means the State Commission for Backward Classes constituted under section 3 :

(c) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman ;

(d) "Schedule" means Schedule I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

CHAPTER—II

The State Commission for Backward Classes

Constitution of the State Commission for Backward Classes

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the State Commission for Backward Classes to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The headquarters of the Commission shall be at such place as the State Government may, by notification, specify.

(3) The Commission shall consist of a Chairman and four other Members nominated by the State Government from amongst persons of eminence, ability and integrity :

Provided that four members including the Chairman shall be from the backward classes.

Term of office and conditions of service

4. (1) The Chairman and every other member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.

(2) A Member may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from the office of Chairman or, as the case may be, of Member at any time but shall continue to hold office until his resignation is accepted.

(3) The State Government shall remove a person from the office of Member if that person —

(a) becomes an undischarged insolvent ;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude ;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of backward classes or the public interest:

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(5) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

5. (1) The State Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

Officers and other employees of the Commission

(2) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Secretary and other officers and employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

6. The salaries and allowances payable to the Chairman and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 12.

Salaries and allowances to be paid out of grants

7. No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Commission

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.

Procedure to be regulated by the Commission

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

CHAPTER—III

Functions and powers of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:—

Functions of the Commission

(a) the Commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens as a backward class in the Schedule and hear complaints of wrong inclusion or non-inclusion of any backward class in the Schedule and tender such advice to the State Government as it deems appropriate;

(b) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the backward classes under any law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the working of such safeguards ;

(c) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of right and safeguards of the backward classes ;

(d) to participate and advice on the planning process of socio-economic development of the backward classes and to evaluate the progress of their development ;

(e) to present to the State Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards ;

(f) to make in such reports recommendations, as to the measures that should be taken by the State Government for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the backward classes ; and

(g) to discharge such other function in relation to the protection, welfare, development and advancement of the backward classes as may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before each House of the State Legislature alongwith a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reason for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

Powers of the Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (1) of section 9, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of any document ;

(c) receiving evidence on affidavits ;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office ;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents ; and

(f) any other matter which may be prescribed.

Periodic revision of the Schedule by the State Government

11. (1) The State Government may at any time, and shall, at the expiration of ten years from the coming into force of the Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake revision of the Schedule with a view to excluding from the Schedule those classes who have ceased to be backward classes or for including in the Schedule new backward classes.

(2) The State Government shall, while undertaking any revision referred to in sub-section (1), consult the Commission.

CHAPTER—IV

Finance, accounts and audit

Grants by the State Government

12. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

45

45 of

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

13. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed; Accounts and audit

(2) The accounts of the Commission shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3) The auditor shall have such powers of requiring the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and for inspecting any of the offices of the Commission as may be prescribed.

14. The Commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed giving a full account of its activities during that financial year and forward a copy thereof to the State Government. Annual Report

15. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under section 9 and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice, and the audit report to be laid as soon as may be after they are received before both the Houses of the State Legislature. Annual report and audit report to be laid before the state legislature

CHAPTER—V

Miscellaneous

16. The Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. Chairman, Members and employees of the Commission to be public servants

17. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of, the Chairman and Members under sub-section (8) of section 4 and of officers and other employees under sub-section (2) of section 5 ;

(b) the form in which the annual statements of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 13 ;

(c) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 14 ;

(d) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

18. Whoever, being legally bound to obey any order or direction of the Commission under section 10, disobeys such order or direction shall be punishable under sections 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of the Indian Penal Code, as the case may be. Penalty

19. No court shall take cognizance of any of the offences specified in section 18 except on the complaints in writing of the Chairman or a Member or of an officer of the Commission, authorised in this behalf by the Commission. Cognizance of offences

Protection of
action taken
in good faith

20. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against **any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.**

Power to remove
difficulties

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the order made under sub-section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

U. P. A.
no. 11
1904

Saving

22. Notwithstanding anything in this Act the Commission constituted by the Uttar Pradesh Government Order No. 22/16/92-Ka-2-93, dated March 9, 1993, shall be deemed to have been duly constituted under the provision of this Act and the term of three years of the Chairman and other Members of the said Commission shall be computed from the date on which they had assumed charge of their respective offices.

Repeal and
Savings

23. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Second) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have done or taken under this Act.

U. P. O.
inance
of 1

SHANKER DAYAL SHARMA,
President.

K. L. MOHANPURIA,
Secretary to the Government of India.

Reasons for the enactment

In pursuance of the Judgement of the Hon'ble Supreme Court in the Mandal Commission Case (Indira Sahani Vs. Union of India), the State Government constituted a commission for Backward Classes by notification dated 9th March, 1993. It was decided to regulate the constitution of the said Commission by an enactment. It was further decided that besides examining the request for inclusion of any class of citizens as backward class and complaints of wrong inclusion or non-exclusion in the list of Backward Classes, the Commission may also perform other specified functions with a view to safeguard of the interest and welfare of the Backward Classes.

2. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action in the matter was necessary, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Ordinance, 1994 (U. P. Ordinance No. 26 of 1994) was promulgated by the Governor on the 17th November, 1994. To replace the provisions of the aforesaid Ordinance the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Bill, 1995 was introduced in the Uttar Pradesh Legislative Council on the 6th February, 1995 but since the said Bill could not be passed by the Uttar Pradesh Legislative Council, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Ordinance, 1995 (U.P. Ordinance No. 12 of 1995) was promulgated by the Governor on the 30th March, 1995 to keep the provisions of the aforesaid Ordinance in force.

3. Since the aforesaid Bill could not be passed in the session of the State Legislature, commencing from the 14th July, 1995, and remained pending with the Legislative Assembly, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Second) Ordinance, 1995 (U. P. Ordinance No. 34 of 1995) was promulgated by the Governor on the 25th August, 1995 to replace the provisions of the aforesaid U. P. Ordinance No. 12 of 1995.

4. The President issued a proclamation on the 18th October, 1995 under Article 356 of the Constitution, in relation to the State of Uttar Pradesh, declaring, *inter alia*, that the powers of Legislature of the State shall be exercised by or under the authority of Parliament. Parliament has, under Article 357 (1) (a) of the Constitution, now conferred on the President, the powers of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws *vide* the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995 (2 of 1996).

5. The said Ordinance could not be replaced by an Act and the Ordinance is expiring on the 7th January, 1996. It is, therefore, decided that the said Ordinance shall be replaced by a President's Act.

6. Under the proviso to sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995 (2 of 1996) the President shall, before enacting any President's Act, consult a Committee constituted for the purpose consisting of the members of both the Houses of Parliament. As the said committee has yet not been constituted and the matter is very urgent, it is proposed to enact the measure without reference to the said Committee.

K. B. SAXENA,

Secretary to the Government of India.

By order,

R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.